परिपत्र संख्या – वि0अनु0शा0/ 2023-24/2129/ कम्प्यूटर परिपत्र संख्या /2324027/ राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(वि0अनु0शा0 अनुभाग, लखनऊ)

दिनांक: 29 दिसम्बर, 2023

अपर आयुक्त, राज्य कर, जोन गौतमबुद्ध नगर एवं
समस्त
अपर आयुक्त ग्रेड – 1
अपर आयुक्त ग्रेड – 2 (वि0अनु0शा0)
संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0) / उपायुक्त (वि0अनु0शा0)
सहायक आयुक्त (वि0अनु0शा0) / राज्य कर अधिकारी (वि0अनु0शा0)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय: वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा SGST अधिनियम एवं प्रवर्तन मैन्युअल में जांच हेतु निर्धारित प्रक्रिया का समुचित रूप से अनुपलान न किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश।

वि0अनु0शा0 इकाइयों की कार्यप्रणाली हेतु SGST अधिनियम एवं प्रवर्तन मैन्युअल में जांच हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का समुचित रूप से पालन किए जाने हेतु मुख्यालय के पत्र संख्या – 1079 दिनांक: 02-08-2023 से विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए थे, परंतु MIS मॉड्यूल का परिशीलन करने पर पाया गया है कि कतिपय जोनों द्वारा प्रवर्तन मैन्युअल एवं समय-समय पर मुख्यालय स्तर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा ऐसे ही एक प्रकरण में पाया कि संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0) राज्य कर द्वारा INS-01 में **"Reason to Believe"** का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही निरस्त करते हुए जांच समाप्त कर दी गयी है। यह स्थिति अत्यंत गंभीर एवं खेदजनक है। अतः उक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए निम्न प्रकार निर्देशित किया जाता है –

1. डाटा एनालिसिस में करापवंचन हेतु पाये गए समस्त प्रतिकूल तथ्यों का केस प्रोफ़ाइल में विस्तृत उल्लेख करते हुए स्पष्ट रूप से **"Reason to Believe"** का तार्किक अंकन किया जाये। तदुपरान्त संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0) राज्य कर द्वारा केस प्रोफ़ाइल के परीक्षणोपरांत अनिवार्य रूप से "Reason to Believe" अंकित करते हुए FORM GST INS-01 जारी किया जाये।
2. जांच एवं तलाशी के दौरान केस प्रोफ़ाइल व INS-01 में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं का निर्धारित प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों के आधार पर परीक्षण करते हुए बिन्दुवार निष्कर्ष के साथ पंचनामा एवं भौतिक सत्यापन शीट तैयार की जाये। जांच के दौरान अभिग्रहीत किए गए अभिलेखों एवं माल का स्पष्ट रूप से INS-02 में प्रारुपानुसार विवरण अंकित किया जाये, ताकि एक प्रपत्र का दूसरे प्रपत्र से सत्यापन किया जा सके।
3. जांचोपरांत पंचनामा, भौतिक सत्यापन शीट, प्राथमिक रिपोर्ट एवं INS-02 को समयान्तर्गत MIS Module पर अपलोड किया जाये।

4. जांचोपरांत विवेचना के आधार पर प्रापर ऑफिसर के अनुमोदनोंपरांत 90 दिन के अंदर अंतिम प्रतिवेदन संबन्धित न्याय-निर्णयन अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाये। यदि किसी मामले में समुचित कारण होने पर प्रतिवेदन प्रेषण में विलम्ब हो रहा है तो उस स्थिति में कारण का स्पष्ट उल्लेख करते हुए समय बढ़ाए जाने के अनुरोध की ऑनलाइन इंट्री कराते हुए स्वीकार किया जाये, तथा तदनुसार बढ़ाई गयी अवधि में अनिवार्य रूप से जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

29/12/23

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश